आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – 5

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(v),

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले नियम, नियमावली, अनुदेशों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन खाद्यान्नों के भण्डारण व आपूर्ति विषयक नियम, नियमावली व दिशा निर्देश, वित्तीय कृत्यों संम्पादन हेतु दिशा निर्देश एवं अधिकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी देयकों के भुगतान विषयक नियम सम्मलित है । जिनका विवरण निम्न है:–

अधिकारी / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी देयकों के भुगतान विषयक प्रयोग किये जाने वाले अधिनियम / नियम / अनुदेश / निर्देशिका का विवरण

1	मैनुअवल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर
2	उत्तराँचल कर्मचारी आचरण नियमावली 2002
3	उत्तराँचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002
4	उत्तराँचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002
5	उत्तराँचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002
6	उत्तराँचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003
7	उत्तराँचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003
8	उत्तराँचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003
9	उत्तराँचल (उत्तराँचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2003
10	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004
11	उत्तराँचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004
12	उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) लिपिक वर्ग सेवानियमावली 2012
13	उत्तराखण्ड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली 2015 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश 2015
14	उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) समूह "क" एवं "ख " सेवानियमावली 2016
15	उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (आपूर्ति शाखा) पूर्ति निरीक्षक अधीनस्थ सेवानियामवली 2018
16	उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) संशोधन सेवा नियमावली 2019
17	उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवानियमावली 2019

प्रयोग किये जाने वाले अन्य अधिनियम/नियम/अनुदेश/निर्देशिका का विवरण

विभागीय कार्यो के लिये प्रयोग किये जाने वाले अन्य अधिनियम/नियम/अनुदेश व शासनादेशों का विवरण निम्न है :-

1	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, द्वारा जारी आदेश, नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2000
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिशा निर्देश ।
3	उत्तराखण्ड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, (आपूर्ति शाखा) अधिनस्थ सेवानियमावली वर्ष 2005 दिनांक 16–04–2005
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013, शासनादेश 2013
5	उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों का चयन एवं राशन कार्ड वितरण विषयक शासनादेश 2013
6	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश राज्य में लागू किये जाने विषयक दिशा–निर्देश सम्बन्धी शासनादेश 2013
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) उत्तराखण्ड के संगठनात्मक/विभागीय ढॉचें को संशोधित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश 2014
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) उत्तराखण्ड के संगठनात्मक/विभागीय ढॉचें को संशोधित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश 2015
9	उत्तराखण्ड राज्य के एल0पी0जी0 विहीन परिवारों को गैस कनैक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश 2017
10	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड के अधीन एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन हेतु ई0पी0ओ0एस0 के स्थान पर राशन की दुकानों को सामान्य सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में (शासनादेश 2018)

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1
संख्या–284/XIX-1/18–161/2004
देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2018

अधिसूचना संख्या–236/XIX-1/18-161/2004, दिनांक–28.02.2018 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (आपूर्ति शाखा), पूर्ति निरीक्षक, अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

3– प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

7– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

8– समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।

12– निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को प्रश्नगत नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों को इस आशय से संलग्न प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधरण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एन0एस0डुंगरियाल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले अनुभाग–1
संख्या–236/XIX-1/18–161/2004
देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग (आपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग (आपूर्ति शाखा) पूर्ति निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग (आपूर्ति शाखा) पूर्ति निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें (आपूर्ति शाखा) पूर्ति निरीक्षक अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी" से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "भारत का नागरिक" से– ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग (आपूर्ति शाखा) पूर्ति निरीक्षक अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है।

झ "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो :—

ञ "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो— संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है।

परन्तु– उपबन्ध यह है कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल किसी पद को आस्थगित कर सकेंगे जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नही होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी अर्थात :—

(एक) पूर्ति निरीक्षक

(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त नीचे खण्ड (i) एवं (ii)

में उल्लिखित श्रेणियों के पदों के पदधारकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों में किसी एक या अधिक पदों पर सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिये हो, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी, जिसमें परिवीक्षा अवधि सम्मिलित नही होगी।

(i) वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, एवं लिपिक– 48 प्रतिशत।

(ii) आशुलिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर–02 प्रतिशत।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामलें में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया

हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हतायें 9.

अधिमानी अर्हता

(1) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अथवा

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन0एस0एस0 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामले में इस नियमावली के नियम 15 के अनुसार अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ यथास्थिति, विज्ञापित या अधिसूचित की जाये, 21 वर्ष होनी चाहिए और समस्त सेवाओं तथा पदों के लिये अधिकतम 42 वर्ष होगी या समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अधिकतम आयु सीमा उतनी होगीं जितनी भर्ती के समय इस हेतु सामान्य नियमों/आदेशों में की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वंय समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के

हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हतायें 9.

अधिमानी अर्हता

(1) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अथवा

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन0एस0एस0 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामले में इस नियमावली के नियम 15 के अनुसार अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ यथास्थिति, विज्ञापित या अधिसूचित की जाये, 21 वर्ष होनी चाहिए और समस्त सेवाओं तथा पदों के लिये अधिकतम 42 वर्ष होगी या समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अधिकतम आयु सीमा उतनी होगीं जितनी भर्ती के समय इस हेतु सामान्य नियमों/आदेशों में की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वंय समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के

अपराध के लिये सिद्धदोष पाया गया हो, पात्र नही होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐंसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसनें ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष विधिक कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग–पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15.

(1) आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगें।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परिनिरीक्षण करेगा, और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के योग्य हो, परीक्षा में प्रवेश देगा।

(4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य

अपराध के लिये सिद्धदोष पाया गया हो, पात्र नही होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसनें ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष विधिक कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग–पाँच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 15.

(1) आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगें।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परिनिरीक्षण करेगा, और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के योग्य हो, परीक्षा में प्रवेश देगा।

(4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य

अपराध के लिये सिद्धदोष पाया गया हो, पात्र नही होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसनें ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष विधिक कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग–पाँच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 15.

(1) आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगें।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परिनिरीक्षण करेगा, और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के योग्य हो, परीक्षा में प्रवेश देगा।

(4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य

श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा,जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(5) साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंको को लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा।

(6) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(7) यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक हों तो अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची मे ऊपर रखा जायेगा और यदि अधिमानी अर्हता भी समान हो तो अधिक अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची पर ऊपर रखा जायेगा।

(8) अधिमानी अर्हता के समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा और यदि आयु भी समान हो तब सूची में नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेंगें। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे

पूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2003 के अनुसार आयोग द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(क) 50 प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त नीचे खण्ड (i) एवं (ii) में उल्लिखित श्रेणियों के पदों के पदधारकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों में किसी एक या अधिक पदों पर सेवा के पॉच वर्ष पूरे कर लिये हो, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(i) वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, एवं लिपिक– 48 प्रतिशत।

(ii) आशुलिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर–02 प्रतिशत।

संयुक्त चयन सूची 17. सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की गयी नियुक्ति की संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहें, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (2) के उपबन्ध के अधीन रहते हुये अभ्यर्थियों के नामों का उसी क्रम में ले कर, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16, 17 के अधीन तैयार की गयी सूची मे आये हो, नियुक्ति करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नही की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किये जाये या जैसा कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किये जाये।

यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से,जो अभिलिखित किये जायेगें, परिवीक्षा अवधि को, जो अधिकतम एक वर्ष तक हो सकेगी, बढ़ा सकेगें,जिसमें ऐसी दिनांक सहित अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या उसका कार्य और आचरण असन्तोषजनक है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें

समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त हो।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा कुशलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) सेवा नियमावली 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :–

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात किसी सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई

अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों के चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि :–

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हो, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नही मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

<u>भाग–सात–वेतन इत्यादि</u>

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षा व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और यदि अपेक्षित हों तो नियम 20 में यथा उल्लिखित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है और द्वितीय वेतन

वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तबतक बाधक नही होगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 26. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह इस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामलें में विधिसम्मत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया जाय तो उस नियम की अपेक्षाओं का शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण

और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

(नियम–22 (2) देखिये)

क0स0	पद नाम	पदों कि संख्या/वेतनमान			
		अस्थायी	स्थायी	योग	शासनादेश दिनांक–17.01.2014 के अनुसार संशोधित वेतनमान
1	पूर्ति निरीक्षक	—	240	240	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200

आज्ञा से,

(अनिन्द्य बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1
संख्या– 195 / XIX-1 / 16–41 / 2014
देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा नियमावली 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" एवं "ख" के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–
(क) नियुक्ति प्राधिकारी से जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर आयुक्त के सम्बन्ध में राज्यपाल से है और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के सम्बन्ध में आयुक्त अभिप्रेत है।
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसो व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।
(ग) " आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(घ) आयुक्त से आयुक्त, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(ङ) "संविधान" से भारत के संविधान अभिप्रेत है।
(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा)सेवा से है।
(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।
(त) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो — संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जित सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि र नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सद संख्या परिशिष्ट "क" में दी गई है।

परन्तु :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचि समझें।

भाग तीन — भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी

(1) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खाद्य निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) जिला पूर्ति अधिकारी— (एक) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो, आयोग के परामर्श से वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(3) उपायुक्त खाद्य— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला पूर्ति अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष की, प्रथम तिथि को इस रूप में, न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(4) संयुक्त आयुक्त खाद्य— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, उपायुक्त खाद्य, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 03 वर्ष की सेवा सहित कुल 13 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(5) अपर आयुक्त खाद्य— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, संयुक्त आयुक्त खाद्य, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
एक पद आई०ए०एस०/पी०सी०एस० संवर्ग का होगा।

आरक्षण 6— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से प भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, ब श्रीलंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका अ जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो— परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–प जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्र का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थ को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर से में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले मे पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किय गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वार आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:–

पद– जिला पूर्ति अधिकारी — अर्हता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अधिमानी अर्हता 9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वंय समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के अपराध में सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नही होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक अभ्यता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा, यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नही है और किसी ऐसे शरीरिक दोष से मुक्त न है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना ह किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद की स्वास्थय परीक्षा उत्तीण कर होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदो के मामलें में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–3 में समाविष्ट मू नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित है :–

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित नही होगा।

भाग पाँच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15 (क) प्रतियोगिता परीक्षा मे बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेगें।

(ख) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेगे।

(घ) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिये उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेगें।

लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया।	16 (1) जिला पूर्ति अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, "समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003" के अनुसार की जायेगी।
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16 (2) पदोन्नति के प्रायोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) अपर आयुक्त खाद्य (आपूर्ति) के पद पर भर्ती "उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(ख) संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्त खाद्य के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हु ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रका से किया जायेगा :–

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित एव अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न ना हो – सदस्य

(तीन) आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड – सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा, और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो आवश्यक समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उपनियम (v) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ङ) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची–17 यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः — नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15(2) एवं 15(3) यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगें।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहॉं पद आयेगा के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहां उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिससे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण

20. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि :–

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :–

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दि किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसव मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा :

(1) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होग जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदा किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपन ज्येष्ठता खो सकता है।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि :–

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमे कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नही मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम मे अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों मे किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गई है।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है :–

परिवीक्षा के दौरान वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति क वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अ बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई जाती है जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्व विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थपन 24. किसी पद या सेवा या लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अ सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी व ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का को प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयो का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों प सामान्य या लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या उसे शिथिल कर सकती हैं।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंधित करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट– 'क'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	अपर आयुक्त (खाद्य)	2	—	2 (एक पद आई0ए0एस/पी0सी0एस0 संवर्ग का होगा।)
2	संयुक्त आयुक्त (खाद्य)	2	—	2
3	उपायुक्त (खाद्य)	3	—	3
4	जिला पूर्ति अधिकारी	13	—	13
5	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	61	—	61

परिशिष्ट– 'ख'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)
01	अपर आयुक्त (खा0)	वेतन बे–4	37400–67000	8700
02	संयुक्त आयुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	7600
02	उपायुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	6600
04	जिला पूर्ति अधिकारी	वेतन बे–3	15600–39100	5400
05	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	वेतन बे–2	9300–34800	4600

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2
संख्या379/XIX-2/19 वि0/2007
देहरादून : दिनाँक : 27 अगस्त, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) लिपिक वर्ग सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणनशाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2012

भाग – एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2012 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) लिपिक वर्ग सेवा में समूह "ग" के पद सम्मिलित है ।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –
(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अभिप्रेत है;
(ख) "**भारत का नागरिक**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) "**नियन्त्रक**" से किसी सम्भाग के सम्भागीय खादय नियन्त्रक अभिप्रेत है;
(घ) "**संविधान**" से '**भारत का संविधान**' अभिप्रेत हैं;
(ङ) "**खाद्य आयुक्त**" से आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) "**सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "**सचिव**" से सचिव, उत्तराखण्ड शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) "**सेवा**" से उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) "**भर्ती का वर्ष**" से कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

<u>भाग – दो – सवंर्ग</u>

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट 'क'** मे दी गई है :

परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग – तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात् :–

(1) कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर

(क) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) 25 प्रतिशत, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन एक समिति के द्वारा पदोन्नति से भरा जायेगा इस हेतु साधारण परीक्षा भी होगी। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त 20 अंकों की टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी तथा कम्प्यूटर व्यवहारिक ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे, इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जो कि नियम 5 (1) (ख) के अनुरूप की जायेगी।

(2) अभिलेखपाल

चयन समिति के माध्यम से सम्बन्धित संभाग के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटरों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) प्रवर सहायक

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त सम्बन्धित संभाग के ऐसे स्थाई कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) मुख्य सहायक

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त सम्बन्धित संभाग के ऐसे स्थाई प्रवर सहायक/अभिलेखपाल में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(5) आशुलिपिक

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार – अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रुप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रुप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया

जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इ[illegible] शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आ[illegible]श्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार कि[illegible] गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है औ[illegible] उसे इस शर्त पर अनन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आ[illegible]श्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जा[illegible] कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता 8. (1) सेवा में कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर एवं आशुलिपिक के [illegible] पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैः–

क्रम सं0	पद	अर्हतायें
(1)	कनिष्ठ सहायक सहकम्प्यूटर आपरेटर	(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा [illegible]रिषद, /उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की [illegible]ण्टर –मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके [illegible]कक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण; (ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम [illegible]000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति तथा एम[illegible]एस0 आफिस का ज्ञान होना आवश्यक है ।
(2)	आशुलिपिक	(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा [illegible]रिषद् /उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की [illegible]ण्टर –मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके [illegible]कक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण; (ख) हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80/100 शब्द प्रति मिनट की गति एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी /अंग्रेजी टाईपिंग में कम से कम 4000/[illegible]000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना आवश्य[illegible] है। हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपिक का आई.टी आई. डिप्लोमा होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हतायें 9. अन्य बातों के सामान्य होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्य र्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो;

(तीन) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो;

(चार) आशुलिपिक की दशा में जिसे अंग्रेजी आशुलिपि और मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का "ओ" लेबिल या इसके समकक्ष का पाठ्यक्रम किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसमें रिक्तियाँ यथास्थिति, विज्ञापित या अभिसूचित की जायें, 18 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी ।

भाग – पाँच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा

आशुलिपिक व कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा :–

(क) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4) (क) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्र कार की होगी;

(ख) (एक) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक श्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा;

(दो) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थि यों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी;

(तीन) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्ली केट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी;

(चार) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी को उत्तराखण्ड की वैब साईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचान है, पर प्रकाशित किया जायेगा;

(पांच) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिए 4000 (KDPH) व आशुलिपि परीक्षा के लिए 80 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की यथास्थिति टंकण या आशुलिपिक टंकण की परीक्षा होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी उनको ही अंक दिये जायेंगे। आशुलिपिक और टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। टंकण परीक्षा या आशुलिपिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के आधार पर प्रवणिाता क्रम में बुलाया जायेगा;

(छः) यदि टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सफल होते हैं तो श्रेष्ठता सूची तैयार कर उसके आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा;

(सात) यदि टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में रिक्तियों की संख्या कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी

का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्र ाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड राज्य की शासकीय वैबसाईट पर, ानपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर दर्शित किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्ष तथा यथास्थिति टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा के अंकों को ीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में उत्तराखण्ड रा य की वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेगें।

चयन समिति का गठन **16.** सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्न ांखित होंगे :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी	— ध्यक्ष;
(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई एक अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा	— दस्य;
(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा	— दस्य;
(घ) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा	— दस्य;
(ङ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी	—र ादस्य।

मुख्य सहायक, प्रवर सहायक, अभिलेखपाल व कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया	17.	**<u>पदोन्नति के पदों हेतु</u>** – पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, समिति निम्नानुसार होगी :– **(क)** सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक – अध्यक्ष; **(ख)** सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नाम–निर्दिष्ट संभागीय विपणन अधिकारी या संभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, – सदस्य; (ग) सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला पूर्ति अधिकारी अथवा उप सम्भागीय विपणन अधिकारी – सदस्य।
संयुक्त चयन सूची	18.	यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

<u>भाग – छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता</u>

नियुक्ति	19.	(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हो। **(2)** जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय। **(3)** यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी कि यथा स्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमे उन्हें पदोन्नत किया जाय, यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेगें

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें : लग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान कि ी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत ा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या उसका कार्य और आचरण असन्तोषजनक है तो उसे उसके मौलिक द पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका कि ी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हक ार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य ः मकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की र गणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई रिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये;

(ख) सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और

(ग) नियुक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण र लिये अन्यथा उपयुक्त हो।

ज्येष्ठता

22. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर उत्तराखण्ड राज्य सरकारी सेवक ज्येष्ठता निय ावली, 2002 के प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यह कि किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी थी:

परन्तु यह और कि सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनाँक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें दिनाँक नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, सम्पूर्ण राज्य के लिये एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची अवधारित की जायेगी।

भाग – सात – वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान **परिशिष्ट 'क'** में दिया गया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षा व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवाके पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक के नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि मे वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाव पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	25.	किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की और अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	26.	ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें ।
सेवा की शर्तों में शिथिलता	27.	जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिसे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
व्यावृत्ति	28.	इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{कृपया नियम 4 का उपनियम (2) तथा नियम 23 का उपनियम (2) देखें}

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (₹ में)
1.	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	37	5200–20200, 1900
2.	अभिलेखपाल	02	5200–20200, 2400
3.	प्रवर सहायक	10	5200–20200, 2400
4.	मुख्य सहायक	06	5200–20200, 2800
5.	आशुलिपिक	04	5200–20200, 2400
	योग :–	59	

****

(33)

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद अनुभाग-2
संख्या- 2754/29-2-93-504/81-27-सी
लखनऊ : दिनांक 27-9-, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में,

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ 1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के संबंध में खाद्य आयुक्त से, और हाट निरीक्षक के संबंध में सम्बद्ध संभाग के संभागीय खाद्य नियंत्रक से है ।	"(क) नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य खाद्य आयुक्त से है;

2/-----

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(घ) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;	(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ग) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (ञ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ञ) "सेवा का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बाट शाखा) अधीनस्थ सेवा से है;	(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बाट शाखा) अधीनस्थ सेवा से है;
	(ञञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; और

नियम 4 का प्रतिस्थापन — 3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 4 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

3/------

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(विद्यमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सेवा की सदस्य संख्या — (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।	"सेवा का संवर्ग" 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जावें, निम्नलिखित होगी।	(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय, निम्नलिखित होगी :-

स्तम्भ 1:

ज्येष्ठ हाट निरीक्षक	250 जिनमें शासनादेश संख्या ए-979/29-अठि-2-एम-आर-28-71, दिनांक 20 दिसम्बर, 1976 में यथाउपबन्धित चयन श्रेणी के 50 पद सम्मिलित हैं।
हाट निरीक्षक	454 जिनमें शासनादेश संख्या ए-979/29-अठि-2-एम-आर-28-71, दिनांक 20 दिसम्बर, 1976 में यथाउपबन्धित चयन श्रेणी के 65 पद सम्मिलित हैं।

स्तम्भ 2:

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या: स्थायी	पदों की संख्या: अस्थायी	पदों की संख्या: योग
1.	2	3	4	5
1.	ज्येष्ठ हाट निरीक्षक	511	-	511
2.	हाट निरीक्षक	1253	-	1253

4/---

परन्तु :	परन्तु—
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और	(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और
(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी स्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन 4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5- भर्ती का स्रोत—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी —	भर्ती का स्रोत 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-
(क) हाट निरीक्षक	(1) हाट निरीक्षक —
(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और	(क) पचहत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और
(दो) सांख्यिकीय सहायकों, द्वितीय श्रेणी लिपिकों, लेखाकारों, तृतीय श्रेणी लिपिकों, लेखा लिपिकों, अभिलेखपाल, ज्येष्ठ लेखा लिपिकों, कनिष्ठ लेखा लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी लिपिकों में से, जो	(ख) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप नियुक्त खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित श्रेणियों के पदों से ऐसे पदधारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों के किसी एक या अधिक पदों पर

करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायें, किन्तु जहाँ किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहाँ पदोन्नति के लिए आरक्षित भरी न गई रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी;

(3) चयन श्रेणी में हाट निरीक्षक के पद पर भर्ती स्थायी हाट निरीक्षकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी,

(4) चयन श्रेणी में ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर भर्ती स्थायी ज्येष्ठ हाट निरीक्षकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।"

6/——

(2)

नियम 10 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा; अर्थात् :-

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
10—आयु— सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जाये उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जायं, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किए जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :	"आयु 10- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं 21 वर्ष की होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।"

7/-----

26

नियम 15 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
15- सीधी भर्ती की प्रक्रिया-- (1) हाट निरीक्षक या ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी।	"सीधी भर्ती की प्रक्रिया- 15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायगा।
(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किए जायेंगे जो भुगतान किए जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकते हैं।	(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
(3) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश-पत्र न हो।	(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात नियम 5 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के ,

8/------

	आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे ।
(4) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों का, जिनके लिए नियम 6 के अधीन आरक्षण किया जाना हो, सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में, आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गए अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में जोड़े जायेंगे ।	(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा और यदि वे लिखित परीक्षा में भी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । आयोग, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित,
(5) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और	

द्वारा प्राप्त किये गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी । आयोग उक्त सूची खाद्य आयुक्त को अग्रसारित करेगा ।

(टिप्पणी—(1) हाट निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (स्नातक समूह) के परिणाम के आधार की जायगी ।

(2) ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जायगी ।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किए जांय ।

23

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात:-

स्तम्भ 1

(वर्तमान नियम)

16-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सं-परामर्श पदोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

टिप्पणी—यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श पदोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 की एक प्रति परिशिष्ट में दी गई है।

(2) (एक) चयन श्रेणी में हाट निरीक्षक के पद पर और चयन श्रेणी में ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) खाद्य आयुक्त,

(दो) अपर खाद्य आयुक्त और

(तीन) मुख्य हाट अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्तम्भ 2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

"पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) खाद्य आयुक्त —— अध्यक्ष

(दो) अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश — सदस्य

(तीन) खाद्य आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी —— सदस्य

(चार) यदि खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी;

(पांच) यदि खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य पिछड़े वर्ग का न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी।

23

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात:-

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
16—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परामर्श से) चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी। टिप्पणी—यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परामर्श से) चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 की एक प्रति परिशिष्ट में दी गई है। (2) (एक) चयन श्रेणी में हाट निरीक्षक के पद पर और चयन श्रेणी में ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (एक) खाद्य आयुक्त, (दो) अपर खाद्य आयुक्त और (तीन) मुख्य हाट अधिकारी, उत्तर प्रदेश।	"पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया— 16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (एक) खाद्य आयुक्त — अध्यक्ष (दो) अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश — सदस्य (तीन) खाद्य आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी — सदस्य (चार) यदि खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी; (पाँच) यदि खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य पिछड़े वर्ग का न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी।

	वेतनमानों में हों तो उच्चतर वेतनमान वाले व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे और निम्न वेतनमान में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके पश्चात रखे जायेंगे।
(तीन) चयन समिति उपनियम (दो) में निर्दिष्ट अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।	(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
(चार) चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।"

नियम 18 का प्रतिस्थापन

8. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
18- नियुक्ति-- (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम में लेकर, जिसमें उनके नाम, [illegible]	"नियुक्ति 18- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें

में हों; नियुक्तियाँ करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है ।

टिप्पणी-- हाट निरीक्षक या ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची खाद्य आयुक्त द्वारा तैयार की जायगी । सूची में अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे ।

में आये हों; नियुक्ति करेगा ।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिये जाँय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाँय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ।

में हों; नियुक्तियाँ करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है ।

टिप्पणी-- हाट निरीक्षक या ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची खाद्य आयुक्त द्वारा तैयार की जायगी । सूची में अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेंगे ।

में आये हों; नियुक्ति करेगा ।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिये जायँ और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायँ तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ।

(18)

यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जांय तो नाम नियम 17 में विनिर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।"

नियम 20 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20- स्थायीकरण--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--	"स्थायीकरण 20- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि--
(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,	
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,	(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और	(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।	(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
	(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के

14/---

अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा।"

नियम 21 का प्रतिस्थापन

10. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
21--ज्येष्ठता--सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जांय तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी: परन्तु-- (1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय, (2) पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो पदोन्नति	"ज्येष्ठता 21- किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।"

15/--------

से समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो ।

टिप्पणी—(1) नीचे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से [illegible] किसी रिक्त पद का जो प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहाँ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा । अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

11- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्--

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
22-वेतनमान--(1) सेवा में	"वेतनमान 22-(1) सेवा में

विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।	विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इन नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-	(2) 1 जनवरी, 1986 से प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-
खाद निरीक्षक — 280-8-296-9-350-द०रो०-10-400-द०रो०-12-460रु०	खाद निरीक्षक — 1350-30-1440-40-1800-द०रो०-50-2200 रुपये।
खाद निरीक्षक (प्रवरकोटि) — 400-15-475-द०रो०-15-550रु० प्रतिमास।	
ज्येष्ठ खाद निरीक्षक — 325-10-375-द०रो०-12-495-द०रो०-16-575रु० प्रतिमास	ज्येष्ठ खाद निरीक्षक — 1400-40-1600-50-2300-द०रो०-60-2600 रुपये।"
ज्येष्ठ खाद निरीक्षक (चयन श्रेणी) — 350-15-500-द०रो०-20-600-द०रो०-25-700 रुपया प्रतिमास।	

नियम 24 का प्रतिस्थापन

12- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात —

स्तम्भ 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
24- दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड---किसी व्यक्ति को-- (एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं	"दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड 24- किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि--

दी जायेगी जब तक कि वह न पाया जाय कि उसने धीरता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है और उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि वह न पाया जाय कि उसने विभाग के अधिनियमों, नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को लागू करने में उपयोगी कार्य किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(क) वह न पाया जाय कि उसने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।"

आज्ञा से,

(जी० एस० पुनिया)
सचिव।

क्रम संख्या–54 (क) पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2016–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शनिवार, 09 मार्च, 2019 ई०

फाल्गुन 18, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2

संख्या 211 / 19–XIX–2 / 68 खाद्य–2012

देहरादून, 09 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–05

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा) सेवा नियमावली, 2013, जिसे आगे यहाँ मूल नियमावली कहा गया है, में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3(एक) के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी और मुख्य विपणन अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल अभिप्रेत हैं।	3(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप मुख्य विपणन अधिकारी और मुख्य विपणन अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

नियम 5 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी। (1) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी :– (क)पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से,पदोन्नति द्वारा । (ख) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (2) सम्भागीय विपणन अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। (3) मुख्य विपणन अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त सम्भागीय विपणन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को दो	5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी । (1) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी :– (क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ विपणन अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के परामर्श से, पदोन्नति द्वारा और (ख) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (2) सम्भागीय विपणन अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी उप सम्भागीय विपणन अधिकारियों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (3) उप मुख्य विपणन अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, सम्भागीय विपणन अधिकारियों

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ;	में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा सहित कुल 13 वर्ष की सेवा संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (4) मुख्य विपणन अधिकारी :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, उप मुख्य विपणन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. ऐसे अभ्यर्थी की, जिसने, (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जायेगा।	9. ऐसे अभ्यर्थी की, जिसने, (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नियम 10 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती की रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:	10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह की उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए; परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

नियम 13 का संशोधन 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13.(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे; परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।	13.(1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में सफल हो गया है। (2) सेवा में अन्य पदों के मामलों में वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये और मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थतता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा: परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थतता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी: परन्तु यह और कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष–2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगो को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 17 का संशोधन 7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 उपनियम–1 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17.(1) संभागीय विपणन अधिकारी/मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें:– (एक) सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन। (दो) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, और (तीन) आयुक्त, खाद्य, उत्तराखण्ड।	17.(1)(क) मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर भर्ती उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए), नियमावली, 2002 में उल्लिखित सुसंगत उपबंधो के अन्तर्गत की जायेगी। (ख) उप मुख्य विपणन अधिकारी तथा संभागीय विपणन अधिकारी के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक)– प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष। (दो)– प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न ना हो– सदस्य, (तीन)–आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड– सदस्य।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

परिशिष्ट–क

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	स्थाई	कुल पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
1	उप संभागीय विपणन अधिकारी	07	07	9300–34800 + ग्रेड–पे–4200
2	संभागीय विपणन अधिकारी	02	02	15600–39100 + ग्रेड–पे–5400
3	मुख्य विपणन अधिकारी	01	01	15600–39100 + ग्रेड–पे–6600

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परिशिष्ट–क

क्रम संख्या	पद/श्रेणी	स्थाई पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)	संशोधित वेतनमान (रूपये में)
1	उप संभागीय विपणन अधिकारी	07	07	15600–39100 (वेतन बैण्ड–3) ग्रेड वेतन–5400	56100–177500 लेवल–10
2	संभागीय विपणन अधिकारी	02	02	15600–39100 (वेतन बैण्ड–3) ग्रेड वेतन–6600	67700–208700 लेवल–11
3	उप मुख्य विपणन अधिकारी	01	01	15600–39100 (वेतन बैण्ड–3) ग्रेड वेतन–7600	78800–209200 लेवल–12
4	मुख्य विपणन अधिकारी	01	01	37400–67000 (वेतन बैण्ड–4) ग्रेड वेतन–8700	118500–214100 लेवल–13

आज्ञा से,

सुशील कुमार,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **211/19-XIX-2/68 food/2012**, Dehradun dated March 09, 2019 for general information:

No. 211/19-XIX-2/68 food/2012

Dated Dehradun, March 09, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"**, the governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Food and Civil Supplies Department (Marketing Branch) Service rules, 2013-

The Uttarakhand Food and Civil Supplies Department (Marketing Branch) Service (Amendment) Rules, 2019

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Food and Civil Supplies Department (Marketing Branch) (Amendment) Service Rules, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 3

2. In the Uttarakhand Food and Civil Supplies Department (Marketing Branch) Service Rules, 2013, hereinafter referred as Principal Rules, for the existing rule 3(i) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	Rule hereby substituted
3(i) "Appointing Authority" means regarding to the posts of the Deputy Regional Marketing Officer, Regional Marketing Officer and the Chief Marketing Officer, the Governor.	3(i) "Appointing Authority" means regarding to the posts of the Deputy Regional Marketing Officer, Regional Marketing Officer, Deputy Chief Marketing Officer and Chief Marketing Officer, the Governor;

Amendment of Rule 5

3. In the Principal rules, for the existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	**Rule hereby substituted**
5- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources- **(1)Deputy Regional Marketing Officer-** **(a)** 50 percent by promotion through the Departmental Selection Committee amongst such substantively appointed Senior Marketing Inspectors, who have completed at least seven years service as such on the first day of July of the year of recruitment; **(b)** 50 percent posts by direct recruitment through Commission. **(2) Regional Marketing Officer–** By promotion through the Departmental Selection Committee amongst such substantively appointed Deputy Regional Marketing Officers, who have completed atleast five years service on the 1st day of July of the year of recruitment.	5- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources- **(1) Deputy Regional Marketing Officer-** **(a)** Fifty percent by promotion with the consultation of the Commission on the basis seniority subject to the rejection of unfit from amongst such substantively appointed Senior Marketing Officers, who have completed at least seven years service as such on the first day of July of the year of recruitment; and **(b)** 50 percent posts by direct recruitment through the Commission. **(2) Regional Marketing Officer–** By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the substantively appointed such permanent Deputy Regional Marketing Officers who have completed a minimum of five years of service from the first day of the year of Recruitment.

Existing Rule	Rule hereby substituted
(3) Chief Marketing Officer - By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed such Regional Marketing Officers, who have completed atleast two years of service as such on the 1st of July of the year of recruitment	(3) Deputy Chief Marketing Officer - By promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst the substantively appointed such Regional Marketing Officers, who have completed three years of satisfactory service including a minimum of total 13 years of service from the first day of the year of recruitment. (4) Chief Marketing Officer - By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the Deputy Chief Marketing Officers, who have completed minimum two years of satisfactory service including a minimum of total 16 years of service from the first day of the year of recruitment.

Amendment of rule 9 4. In the Principal rules, for the existing rule 9 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	Rule hereby substituted
9- A candidate, who has-- (i) served in the territorial service for a minimum period of two years; (ii) obtained a "B" certificate in National Cadet Corps.; shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.	9- A candidate, who has-- (i) served in the territorial service for a minimum period of two years; (ii) obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps.; shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Amendment of rule 10 5. In the Principal rules, for the existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	Rule hereby substituted
10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years must not have attained the age of more than 35 years on the first day or July of the calendar year in	10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 year's and must not have attained the age of more than 42 years on January 1st of the year in which

Existing Rule	Rule hereby substituted
which vacancies for direct recruitment and advertised by the Commission : Provided that the maximum age limit for the permanent resident of State of Uttarakhand shall be 40 years : Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories to the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be more by such number of years as may be specified.	recruitment is to be made if the posts are advertised during the period January 1st to 30th June and on July 1st if the post are advertised during the period July 1st to December 31st; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and such other categories as may be notified by the government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Amendment of rule 13 6. In the Principal rules, for the existing sub rule (1) of rule 13 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	Rule hereby substituted
13- No candidates shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board, as per provision of rules framed under the fundamental rule 10 of financial Hand Book Volume-II, Part-III, Chapter-III. Provided that the medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.	13- (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by Medical Board. (2) In the case of other posts in the service shall produce a medical certificate of fitness in accordance with the rule framed under Fundamental rule-10, contained ip chapter-3 of the financial Hand-book, volume-2 part-3;

Existing Rule	Rule hereby substituted
	Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion. Provided further that in order of section 33, the posts identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disability Act, 2016 (Act 49 of 2016) the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

Amendment of rule 17 7. In the Principal rules, for the existing sub rule (1) of rule 17 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule	Rule hereby substituted
17(1)- Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance through a selection committee which comprises as follows :- (i) Secretary, Food and Civil Supplies Department, Government of Uttarakhand; (ii) Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand; and (iii) Commissioner Food, Uttarakhand.	17(1) (a)- The recruitment of the post of Chief Marketing Officer shall be made under the relevant provisions mentioned in the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (for the Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002. 17(1)(b)- Recruitment for the post of Deputy Chief Marketing Officer and Regional Marketing Officer shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit in accordance through a selection committee which comprises as follows :- (i) Principal Secretary/ Secretary, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Government of Uttarakhand - Chairman; (ii) Principal Secretary/Secretary, as an officer not below the rank of joint Secretary appointed by Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand-Member; (iii) Commissioner Food, Civil Supply and Consumer Affairs, Uttarakhand- Member.

Amendment of Annexure "A" 8. In the Principal rules, for the existing Annexure "A" of set out in column-1 below, the Annexure "A" as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Rule

Annexure "A"

S. No.	Category of posts	Permanent	Number of total posts	Pay scale in ₹
1	Deputy Regional Marketing Officer	07	07	9300-34800 + grade pay 4200
2	Regional Marketing Officer	02	02	15600-39100 + grade pay 5400
3	Chief Marketing Officer	01	01	15600-39100 + grade pay 6600

Rule hereby substituted

Annexure "A"

S. No.	Category /Posts	Number of Perma-nent posts	Number of total posts	Pay scale (in ₹)	Revised Pay Scale (in ₹)
1	Deputy Regional Marketing Officer	07	07	15600-39100 (pay band-3) grade pay 5400	56100-177500 (Level-10)
2	Regional Marketing Officer	02	02	15600-39100 (pay band-3) grade pay 6600	67700-206700 (Level-11)
3	Deputy Chief Marketing Officer	01	01	15600-39100 (pay band-3) grade pay 7600	78800-209200 (Level-12)
4	Chief Marketing Officer	01	01	37400-67000 (pay band-3) grade pay 8700	118500-214100 (Level-13)

By Order,

SUSHIL KUMAR,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 खा०ना०आ० / 178–2019–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

संख्या– 709 /XIX-I/19-26/2019–टी0सी0

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संयुक्त आयुक्त (I&D)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आयुक्त

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 01 अगस्त, 2019

विषयः– राशन कार्ड डाटा के शुद्धीकरण/नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्डों के सापेक्ष आधार वेलिडेशन का प्रतिशत देश के सभी राज्यों में काफी कम है, तथा भारत सरकार द्वारा निरन्तर वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से आधार वेलिडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। डाटा वेलिडेशन के सम्बन्ध में सभी जनपदों को निरन्तर दिशा–निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

2– प्रदेश में पुराने राशन कार्डों की अवधि 2018 में समाप्त हो गयी है, तथा वर्तमान में पुराने राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रकिया गतिमान है। जनपदों से भी जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

3– अतः प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम चरण के रूप में राशन कार्ड डाटा का शुद्धीकरण का कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिस हेतु आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जायेगा। डाटा शुद्धिकरण हेतु जांच पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है (प्रति संलग्न)। प्रथम चरण के रूप में आर0सी0एम0एस0 में उपलब्ध डाटा को निर्धारित प्रारूप में प्रिंट प्राप्त कर जांच पत्र कार्डधारकों को उपलब्ध कराया जायेगा, तथा जो सूचनायें गलत/अपूर्ण है, वही सूचनायें उपभोक्ताओं से जांच पत्र पर सही कराते हुये वापिस प्राप्त की जायेंगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड
डाक प्राप्ति संख्या 1628
दिनांक 13-8-19

इस प्रक्रिया में आर0सी0एम0एस0 में उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे समय तथा श्रम की भी बचत होगी। डाटा शुद्धिकरण के कार्य हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1) जनपद में जिलाधिकारी इस कार्य हेतु एक जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

(2) राशन कार्ड शुद्धीकरण/नवीनीकरण हेतु संलग्न प्रारूप पर रिपोर्ट जनरेट करवायी जायेगी, जिसमें एन0आई0सी0 का सहयोग लिया जायेगा।

(3) जनपदों में जिलाधिकारी के निर्देशन में डाटा शुद्धीकरण/नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर भरी हुयी सूचना का प्रिंट आउट प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा, जिस हेतु जिलाधिकारी जनपद, मुख्यालय, तहसील, विकासखण्ड आदि स्तर पर प्रिन्ट आउट प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं।

(4) भरे हुये जांच पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करने, वितरित करने तथा उसे पुनः उपभोक्ता द्वारा सही सूचना संशोधित करते हुए प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा खाद्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायत, शहरी विकास विभाग आदि के क्षेत्रीय/ग्राम स्तरीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(5) प्रपत्र वितरण एवं वापिस प्राप्ति का कार्य जनपद के सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा।

(6) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।इस बात का भी ध्यान रखा जाना उचित होगा कि भरे हुए जांच पत्र प्रत्येक कार्डधारक तक पहुचने तथा प्राप्त करने हेतु त्रुटि रहित प्रक्रिया हो।

(7) भरे हुये जांच पत्र की आर0सी0एम0एस0 से प्रिंट आउट प्राप्त करने, निर्गत किये जाने, वापस प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया हेतु निर्धारित लेखा-जोखा भी रखा जायेगा, जिससे कि भुगतान की प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

(8) भरे हुये जांच पत्र की प्रिटिंग के व्यय का भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। सम्बन्धित जनपद द्वारा उक्त कार्य बाहय श्रोत (Out Source) के माध्यम से अथवा विभाग के माध्यम से ही प्रिंटर आदि की व्यवस्था करते हुये कार्यवाही

की जा सकती है। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन किया जायेगा।

(9) इस हेतु धनराशि का व्यय जनपद में पूर्व से संचालित राशन कार्ड के रिवालविंग फण्ड से किया जाएगा। प्रति जांच पत्र मूल्य की धनराशि का समायोजन भविष्य में जारी होने वाले राशन कार्ड के मूल्य में किया जायेगा।

(10) संशोधित भरे हुये प्राप्त जांच पत्र के आधार पर आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन डाटा का शुद्धीकरण/मोडिफिकेशन का कार्य किया जायेगा। राशन कार्ड के जांच पत्रों के शुद्धिकरण/मोडिफिकेशन का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर पर यथा आवश्यकता जनपद अथवा तहसील स्तर पर कराये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

(11) डाटा फीडिंग/शुद्धिकरण के कार्य पर आने वाले व्यय एवं दरों निर्धारण हेतु जिलाधिकारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत होंगे। उक्त व्यय एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के मानक मद से उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

(12) उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही शीघ्रता से प्रारम्भ कर 60 दिन के अन्तर्गत पूर्ण की जानी होगी। जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी प्रति सप्ताह इस कार्य की समीक्षा भी अपने स्तर से कर लें।

(13) भरे हुए जांच पत्रों को सुरक्षित रखने के लिये दुकानवार जांच पत्रों की बंडलिंग करवायी जायेगी। उक्त जांच पत्र सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों के कार्यालय तथा जनपद मुख्यालय हेतु जिला पूर्ति कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

(14) डाटा शुद्धिकरण/नवीनीकरण के कार्य में कोई त्रुटि न हो, इस हेतु जांच पत्र के साथ उपभोक्ताओं से सभी यूनिटों के आधार एवं मुखिया की बैंक पासबुक (जिसमें नाम, बैंक एकाउन्ट नं0 एवं आई0एफ0एस0 कोड दर्ज हो) की छायाप्रति लेना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार राशन कार्ड डाटा का शुद्धीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण के रूप में राशन कार्ड डाटा का शुद्धीकरण का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप

अगले चरण में उपलब्ध शुद्ध डाटा के आधार पर राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य भी सम्पन्न कराया जायेगा।

अतः उक्त महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या— 709/XIX-1/19–26/2019–टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2
संख्या 50/18–XIX–2/61 खाद्य/2013
देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्न के मानक मूल्य एवं गुणवत्ता तथा योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन आदि के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालय ज्ञाप सं0 682/XIX/06–145/2004 दिनांक 15.06.2010 द्वारा सतर्कता समितियों का गठन किया गया था। वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 (1) में भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर दुकान के स्तरों पर प्रत्येक राज्य सरकार से सतर्कता समितियों का गठन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एतदद्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 15.06.2010 द्वारा गठित सतर्कता समितियों को निरस्त करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित सतर्कता समितियॉं गठित की जाती है–

1. राज्य स्तर पर

मा0 खाद्य मंत्री	–अध्यक्ष
मा0 मंत्री पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/शहरी विकास	–सदस्य
समस्त मा0 सांसद सदस्य	–सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम 05 मा0 विधायक	–सदस्य
प्रमुख सचिव, खाद्य/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/शहरी विकास	–सदस्य
आयुक्त, खाद्य विभाग	–सदस्य
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल	–सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित उपभोक्ता कार्यकर्ता, युवा एवं महिला संगठनों के अधिकतम 05 सदस्य	–सदस्य

यह समिति राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के समग्र कार्यकारण तथा राज्य में इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में पेश आ रही समस्याओं की समीक्षा करेगी। यह समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निदान हेतु केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकती है।

कार्यालय आयुक्त
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड
डाक प्राप्ति संख्या 3364
दिनांक 12/01/18
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
अनुभाग जिससे सम्बन्धित है

2. जिला स्तर पर

अध्यक्ष, जिला पंचायत	–अध्यक्ष
जिलाधिकारी	–सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी	–सदस्य
जिला परियोजना अधिकारी / जिला सहायक निबन्धक	
अध्यक्ष द्वारा नामित लाभ भोगी सदस्यों / सामाजिक / उपभोक्ता संगठनों तथा जनता के प्रतिनिधि जैसे विभिन्न वर्गों के 10 सदस्य	–सदस्य
जिला पूर्ति अधिकारी	–सदस्य सचिव

2. ब्लाक / तालुका स्तर पर

ब्लाक प्रमुख	–अध्यक्ष
अध्यक्ष द्वारा नामित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध अधिकतम 05 कार्डधारी, 03 स्थानीय निकाय 03 क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि 03 सामाजिक कार्यकर्ता	–सदस्य
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक	–सदस्य सचिव

3. नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत स्तर पर

अध्यक्ष, नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायत	–अध्यक्ष
अध्यक्ष द्वारा नामित निकाय से चुने गये अधिकतम 05 पार्षद / वार्ड मेम्बर	–सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित सामाजिक एवं उपभोक्ता संगठनों के अधिकतम 03 प्रतिनिधि	–सदस्य
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक	–सदस्य सचिव

4. ग्राम पंचायत स्तर पर

ग्राम प्रधान	–अध्यक्ष
ग्राम प्रधान द्वारा नामित कार्डधारकों के अधिकतम 05 प्रतिनिधि जिसमें कुछ महिलायें गरीबी रेखा से नीचे / अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी होंगे, सामाजिक व उपभोक्ता संगठन के कार्यकर्ता अधिकतम 05 सदस्य	–सदस्य
ग्राम पंचायत अधिकारी	–सदस्य सचिव

राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लाक / तालुका स्तर, नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाने वाली उक्त सतर्कता समितियों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 (1) के प्राविधानुसार प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों में स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

सतर्कता समितियां निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्–

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किन्हीं उपबन्धों के अतिक्रमण की जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचना देना और

(ग) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिनका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचना देना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 के प्राविधानानुसार ब्लॉक/तालुका स्तर, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समितियों द्वारा सोशल ऑडिट का कार्य भी सम्पादित किया जायेगा। उक्त सतर्कता समितियॉ त्रैमासिक स्तर पर सोशल ऑडिट की रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को प्रस्तुत करेंगी।

सदस्य सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन करे। बैठक में लिये गये निर्णयों से जिला पूर्ति अधिकारी, आयुक्त कार्यालय एवं शासन को भी सूचित करेंगे।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या 50 /18–XIX–2/61 खाद्य/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार।
3– आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।
4– आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5– समस्त अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव, उक्त सर्तकता समिति।
6– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
7– उपायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
8– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ/गढ़वाल।
9– समस्त जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– निजी सचिव, मा0मंत्री जी, खाद्य को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11– निजी सचिव, प्रमुख सचिव खाद्य।
12– निदेशक, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव ।

संख्या 901 / 17–XIX–2 / 48 खाद्य / 2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषयः राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्गत की जाने वाली गेहूँ व चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर की धनराशि का नगद लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 857 / 17–XIX–2 / 48 खाद्य / 2015 दिनांक 24.10.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्गत की जाने वाली चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर की धनराशि का नगद लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया अपनायी जायेगीः–

1. नगद डी0बी0टी0 अन्तरण हेतु ट्रेजरी रूट की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
2. जनपद स्तर पर समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा डाटा शुद्धिकरण का कार्य शत प्रतिशत् पूर्ण किया जायेगा। डाटा की शुद्धता हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।
3. राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु वही राशनकार्ड धारक / लाभार्थी पात्र होंगे जिनका राशन कार्ड सत्यापित आधार नम्बर, बैंक एकाउन्ट नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 कोड से लिंक होगा। राशनकार्ड धारक जैसे–जैसे अपने राशनकार्ड को आधार नम्बर, बैंक एकाउन्ट नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 कोड, मोबाईल नम्बर से लिंक तथा सत्यापित करेंगे तद्नुसार ही आगामी माह से उन्हें सब्सिडी देय होगी।
4. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी बजट मांग पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख तक आयुक्त / वित्त नियंत्रक, खाद्य को प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार बजट का आवंटन पूर्ववर्ती माह की 25 तारीख तक सम्बन्धित जिलों को आवंटित किया जायेगा। माह नवम्बर हेतु बजट की मांग 5 नवम्बर 2017 तक आयुक्त (खाद्य) को प्रस्तुत की जायेगी।
5. आयुक्त (खाद्य) / वित्त नियंत्रक (खाद्य) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बजट का आवंटन Online किया जायेगा।

क्रमशः......2 / –

6. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक भुगतान हेतु Data का परीक्षण किया जायेगा तथा 6 से 10 तारीख के मध्य Contingency Bill No. (103) आकस्मिक देयक प्रपत्र, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1, देख अध्याय–आठ, प्रस्तर 178, 180, 182, 183 तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा तथा कोषागार द्वारा सब्सिडी की धनराशि सम्बन्धित कार्डधारक / खाता धारक के खाते में अन्तरित की जायेगी।
7. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बिल तैयार करने तथा भुगतान हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–3 / xxvii (6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या– 385 / xxvii (1)/2014 दिनांक 19 मार्च, 2014 तथा शासनादेश संख्या–120(1) / xxvii (6)-588-एक/2011/2016 दिनांक 07 जून, 2016 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. एन0आई0सी0 द्वारा विभागीय पोर्टल से लाभार्थियों का डाटा Web Service/API के माध्यम से ट्रेजरी पोर्टल cts.uk.gov.in पर रियल टाईम उपलब्ध कराया जायेगा।
9. जिला पूर्ति अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा cts.uk.gov.in में प्राप्त Login Password के माध्यम से नगद डी0बी0टी0 भुगतान हेतु निर्धारित प्रारूप (कोषागार प्रपत्र–103) पर देयक तैयार किया जायेगा। देयक तैयार करते समय कोषागार साईट पर प्रदर्शित लाभार्थियों के डाटा के शुद्धता की जॉच की जायेगी।
10. लाभार्थी के डाटा की पुष्टि के उपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा देयक तैयार कर कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
11. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत देयकों की आवश्यक जॉच कर सब्सिडी की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी। जैसे ही कोषागार द्वारा लाभार्थी को धनराशि अन्तरित की जायेगी, लाभार्थी के मोबाईल नम्बर पर उक्त की सूचना प्रेषित होगी।
12. कोषागार के स्तर से भुगतान के पश्चात् भुगतान से सम्बन्धित सूचना आहरण वितरण अधिकारी के लॉग इन पर उपलब्ध होगी।
13. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने के पश्चात् भुगतान से सम्बन्धित सूचना यथा Bank Reference No., UTR No. तथा भुगतान की तिथि की सूचना Web Service /API के माध्यम से कोषागार पोर्टल के द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्रयोग हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। एन0आई0सी0 द्वारा उक्त Web Service /API का उपयोग कर विभागीय पोर्टल पर एम0आई0एस0 तैयार (Generate) की जायेगी।

क्रमशः......3 / –

14. भुगतान के पश्चातं यदि कोई ट्रॉजेक्शन असफल होता है तो उसकी सूचना भी cts.uk.gov.in पोर्टल पर आहरण वितरण अधिकारी के लॉग इन पर उपलब्ध होगी। उक्त का निराकरण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा करते हुये डाटा सम्बन्धित कोषागार को पुनः भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

15. उक्त प्रक्रिया में यदि कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण एन0आई0सी0 तथा सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

16. नगद डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी के एकाउन्ट में सब्सिडी का अन्तरण करने के पश्चात् संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर dbt.uk.gov.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

17. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा लेखाबन्दी एवं महालेखाकार को लेखा प्रेषण की प्रक्रिया वही रहेगी जो वर्तमान में लागू है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव।

संख्या /17–XIX–2/48 खाद्य/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– महाप्रबन्धक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
4– अपर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
6– वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
8– मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– संयुक्त आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– उपायुक्त, गढ़वाल/कूमायूँ मण्डल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढ़वाल/कूमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त जनपदीय लीड बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्य मन्त्री
13– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
14– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे),
अनु सचिव

संख्या–1125/XIX-1/17–07/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य के एल0पी0जी0 विहीन परिवारों को गैस कनैक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य के सभी परिवारों की रसोई को धुआं मुक्त करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–744/2017 के क्रम में केन्द्र की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भांति राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे परिवार, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है, को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की तर्ज पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क गैस कनैक्शन दिये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा, तदोपरान्त छूटे हुए ऐसे अन्त्योदय/प्राथमिक (पी0एच0एच0) कार्ड धारक तथा रू0–2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले राशन कार्ड धारक परिवारों की पात्रता सूची तैयार कर प्रस्ताव आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) किसी भी परिवार में महिला अथवा पुरूष मुखिया अथवा किसी अन्य सदस्य के नाम पूर्व से गैस कनैक्शन होने की स्थिति में उक्त परिवार निःशुल्क गैस कनेक्शन हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) गैस सब्सिडी का दुरूपयोग न हो इस हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संम्बन्धित राशन कार्ड धारक परिवार की महिला तथा पुरूष सदस्य का आधार नम्बर तथा बैंक खाता (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) से लिंक किया जा चुका हो।

(4) प्रस्तावित गैस कनेक्शन प्रथमतः परिवार के महिला मुखिया सदस्य के नाम से दिया जायेगा, परिवार में महिला मुखिया सदस्य के न होने की स्थिति में परिवार के ही अन्य महिला सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन दिया जायेगा। परिवार में महिला सदस्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में वरिष्ठतम पुरूष सदस्य के नाम कनैक्शन दिया जायेगा। इस हेतु उज्जवला योजना की तर्ज पर प्रति कनैक्शन रू0–1600 की धनराशि ऑयल कम्पनी को दिया जायेगा, अवशेष व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(5) योजना चरणबद्ध रूप से संचालित की जायेगी अर्थात प्रथम चरण में अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को गैस कनेक्शन से संतृप्त किया जायेगा, समस्त जिलाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि उनके जिले में कोई भी अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार प्रथम चरण में गैस कनैक्शन से वंचित न हो।

द्वितीय चरण में ऐसे परिवार, जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्य कोई राशन कार्ड है अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत अद्यावधिक बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज है, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, अर्थात प्राथमिक परिवार (पी0एच0एच0) कार्ड धारक एवं बी0पी0एल0 परिवारों को सम्मिलित कियां जायेगा तथा अन्तिम चरण में ऐसे कार्ड धारकों को जिनकी कुल वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से कम है, को भी लाभान्वित किया जायेगा।

(6) यदि राज्य में गैस विहीन परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करा दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य में मिट्टी तेल का आवंटन धीरे–धीरे समाप्त किया जा सकता है। अतः राज्य में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु घरेलू गैस विहीन परिवारों के चयन तथा गैस कनैक्शन वितरण हेतु जनपद स्तर में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी, ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि एवं यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए पात्र लाभार्थियों के सर्वे के कार्य को समयबद्ध रूप से 2 माह के भीतर अभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–152 मतदेय /XXVII(5)/2017-18 दिनांक–30.10.2017 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(8) अतः प्रकरण में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1125/XIX-1/17–07/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, ऑबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य निजी सचिव, मा0 खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तराखण्ड।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त अनुभाग–05 उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
11– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
12– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी राजपत्र (गजट) में 200 प्रतियां प्रकाशित कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या 427 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 07 अगस्त, 2013

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 राज्य में लागू किये जाने विषयक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत का राजपत्र सं0 07, 2013 नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 05, 2013 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कम में शासन के पत्र संख्या 361 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009 दिनांक 15.07.2013 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। अध्यादेश को राज्य में सुचारू रूप से लागू किये जाने तथा सफल क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश के कम में निम्न दिशानिर्देश दिये जाते हैं:–

1– अधिनियम के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को पूर्व की भाँति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (10.50 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 24.50 कि0ग्रा0 चावल क्रमशः ₹ 2.00 एवं ₹ 3.00 प्रति कि0ग्रा0) की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड देय होगा। यह समस्त परिवार वहीं होंगे जिन्हें पूर्व से ही अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इन्हें पूर्व में निर्गत राशनकार्ड अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे।

2– इसके पश्चात शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र प्राथमिक परिवारों (Priority Households) का चयन किया जाना है। योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचे इसलिये पात्र परिवारों का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पात्र परिवारों के चयन हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी:–

(i) वर्तमान समस्त ग्रामीण एवं शहरी बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को अग्रिम आदेशों तक अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों के पश्चात प्राथमिक परिवारों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। इन्हें पूर्व मे निर्गत राशनकार्ड अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेंगे। यद्यपि अध्यादेश द्वारा अन्त्योदय के अतिरिक्त प्राथमिक परिवारों हेतु प्रति यूनिट 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न दिये जाने का प्राविधान है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक बी0पी0एल0 राशन कार्डधारकों को भी वर्तमान की भाँति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, चावल ₹ 3.00

प्रति कि0ग्रा0 एवं गेहूँ ₹ 2.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिये प्रत्येक राशन की दुकान के स्तर पर बी0पी0एल0 कार्डधारकों की यूनिटस का सत्यापन करवाते हुये वास्तविक बी0पी0एल0 यूनिटस की जनपदवार संकलित सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

(ii) अवशेष पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु मानक का विवरण पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 361/13–XIX–2/40 खाद्य/2009 दिनांक 15.07.2013 में उल्लिखित किया गया है। प्रत्येक जनपद में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु (बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय को छोड़कर) पात्र प्राथमिक परिवार वाले लाभार्थियों के लक्ष्य की अधिकतम संख्या सलग्नक–1 के कॉलम– h एवं I में अंकित संख्या के अनुसार होगी। जनपद में जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार ही ब्लॉक (ग्रामीण) एवं शहरी क्षेत्र हेतु पात्र प्राथमिक परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

(iii) पात्र परिवारों के चयन की प्रकिया को प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून हो। नोडल अधिकारी निरन्तर लाभार्थियों के चयन में हुई प्रगति की कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुये जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के चयन हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी तथा लेखपाल/पटवारी की टीम बनायी जायेगी। ग्रामवार गठित उक्त टीम द्वारा निर्धारित मानकों के दृष्टिगत चिन्हिकरण तथा निर्धारित मानक के अनुसार सत्यापन के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर बनायी गयी अध्यावधिक ग्रामवार बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक से आरोही क्रम में in ascending order (ग्राम के निर्धारित लक्ष्य तक) लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी Tentative सूची को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा सहमति के उपरान्त अन्तिम सूची बनायी जायेगी। ग्राम सभा की यह प्रकिया श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुये करायी जायेगी। ग्राम सभा की बैठकों में पात्र परिवारों में से एक वयस्क सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा पात्रता में परिवार सम्मिलित

नहीं होगा। अन्तिम रूप से बनायी गयी ग्रामवार सूची का अंकन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मास्टर रजिस्टर, कांउन्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में किया जायेगा।

(v) ग्राम सभा में यह प्रक्रिया श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुए करायी जायेगी। ग्राम सभा में बैठकों हेतु पूर्व में ही रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, जिसका सम्यक रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा। खण्ड स्तर पर उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रेक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) शहरी क्षेत्र में प्राथमिक/पात्र परिवारों के चयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर शहरी क्षेत्रवार खाद्य, राजस्व, स्थानीय निकाय तथा यथा आवश्यकता अन्य विभागों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये टीमों का गठन किया जायेगा। अवशेष पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु मानक का विवरण जो शासनादेश संख्या 361 दिनांक 15.07.2013 में उल्लिखित है के अनुसार सत्यापन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में स्थानीय निकाय स्तर पर मलिन बस्ती हेतु बनायी गयी बी0पी0एल0 सूची (ए0डी0डी0 द्वारा जारी तथा अधिशासी अधिकारियों द्वारा सत्यापित) उपलब्ध है तो उसका भी संज्ञान लिया जाय। इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जारी बी0पी0एल0 सूची तथा Socio Economic Caste Census की सूची का भी संज्ञान लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी पात्र परिवारों की सूची को सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर, दो सप्ताह के भीतर आपत्ति प्राप्त करते हुये निस्तारण किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अन्तिम रूप से बनायी गयी क्षेत्रवार/दुकानवार सूची का अंकन जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में मास्टर रजिस्टर, काउन्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में किया जायेगा।

(vii) तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के चयन की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण करेंगे। उक्त कार्य के निर्धारित अवधि में समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(viii) वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्डों में इस बात का सम्भावना है कि उनमें कतिपय कार्डधारक स्थान परिवर्तन, मृत्यु अथवा उच्च

श्रेणी (ए0पी0एल0) में आ जाने के कारण पात्रता नहीं रखते। इसलिये सत्यापन के दौरान अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों का भी यथाआवश्यकता सत्यापन करवा दिया जाय। जिससे की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

(ix) राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को यथाशीघ्र लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलतः पात्र परिवारों के चयन का कार्य युद्ध स्तर पर करते हुये एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय।

3— राशनकार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया:—

(a) पात्र परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा। किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला न होने की दशा में, पुष्टि करने के उपरान्त परिवार में वरिष्ठतम् पुरूष के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा। ऐसे कार्ड जो पुरूष मुखिया के नाम बने हो उसका विवरण पृथक से रखा जायेगा। परिवार में महिला के अवयस्क होने की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त महिला के नाम पर ही राशनकार्ड जारी किया जायेगा।

(b) राशनकार्ड के मुद्रण का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। प्रथम चरण में (संलग्न–I) में जनपदों को आवंटित लक्ष्य को (अन्त्योदय यूनिटस को जोड़ते हुये) 5.5 परिवार की संख्या मानते हुये, से विभाजित करते हुये राशनकार्डों के मुद्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(c) राशनकार्ड, जॉच पत्र एवं अभिलेखों का नमूना आयुक्त, खाद्य द्वारा गठित टीम के माध्यम से वित्त नियंत्रक, खाद्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

(d) वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा जनपदों को उनकी मांग के अनुसार राशन कार्ड प्रेषित किये जायेंगे, जिनका भुगतान जनपद स्तर पर उपलब्ध रिवॉल्विंग फण्ड से जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(e) उल्लेखनीय है कि विभाग में कम्प्यूटराईजेशन की कार्यवाही गतिमान है। इसलिये कम्प्यूटराईजेशन की प्रकिया को ध्यान में रखते हुये जॉच पत्र तथा अभिलेखों की प्रविष्टि में विशेष सतर्कता बरती जाय। जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न होने पावे।

उक्त प्रकिया के अनुसार पात्र प्राथमिक परिवारों के अन्तिम रूप से चयन तक वर्तमान ए0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार अवशेष ए0पी0एल0 राशन कार्डधारक (जो पात्र प्राथमिक परिवारों में

(5)

चयनित नहीं हैं) अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे तथा इन राशनकार्डों में चीनी एवं मिट्टी तेल पूर्व आदेशों की भाँति प्राप्त होगा। नये राशन कार्ड जारी करते समय पुराने राशनकार्ड अनिवार्य रूप से वापस लिये जायेंगे।

अध्यादेश के अनुसार जिस माह पात्र प्राथमिक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा, उस माह पात्र प्राथमिक परिवारों को भत्ता देय होगा। इसलिये प्रत्येक स्तर पर निर्धारित दायित्व का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 427 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 26.06.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय टॉवर, माजरा, देहरादून।
7– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8– अनु सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी / कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
10– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग / कुमायूँ सम्भाग, देहरादून / हल्द्वानी।
11– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
12– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
13– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग / कुमॉयू सम्भाग ।
14– एनआईसी / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या 361 /13–XIX–2/40 खाद्य/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 15 जुलाई, 2013

विषयः भारत सरकार द्वारा अधिनियमित अध्यादेश संख्या 25 शुक्रवार जुलाई, 05 2013 आषाढ़ 14, 1935 (शक) दिनांक 05.07.2013 "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" का राज्य में कियान्वयन एवं उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय श्रेणी के राशनकार्ड धारकों एवं उचित दर विक्रेताओं के सम्बन्ध में समस्त प्रचलित शासनादेशों का अध्यादेश के लागू होने के पश्चात स्वतः विलोपन किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार का राजपत्र सं0 25, शुक्रवार जुलाई, 05 2013 आषाढ़ 14, 1935 (शक) के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर किये गये सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयों के आधार पर भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये ग्रामीण क्षेत्र की 43,61,000 आबादी तथा शहरी क्षेत्र की 16,76,000 आबादी कुल 60,37,000 आबादी को सम्मिलित किया है को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति (02 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 3 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार मानक/प्रकिया के तहत राज्य में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" के कियान्वयन एवं उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य के ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय श्रेणी के राशनकार्ड धारकों एवं उचित दर विक्रेताओं के सम्बन्ध मे प्रचलित समस्त शासनादेशों का उक्त अध्यादेश के लागू होने के पश्चात स्वतः निष्प्रोज्य किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध प्रत्येक अन्त्योदय श्रेणी एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को तत्काल प्रभाव से अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को निहित प्राविधानों के अनुसार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (15 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 20 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) की दर से प्रतिमाह प्रति परिवार मुहैया कराया जाना सुनिश्चित करें तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारक को प्रतिव्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 कि0ग्रा0 गेहूँ ₹ 2.00 प्रति किलोग्राम तथा 3 कि0ग्रा0 चावल ₹ 3.00 प्रति किलोग्राम) प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2 पर

2- ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" के तहत अनुमन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिये तत्काल निम्न उल्लिखित मानकों एवं प्रकिया के तहत पात्र परिवारों का वास्तविक चिन्हिकरण करते हुये पात्र परिवारों की वास्तविक पात्रता सूची शासनादेश लागू होने की तिथि से 01 माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

पात्रता के मानक

1- राशन कार्ड सर्वप्रथम परिवार की 18 वर्ष से ऊपर की आयु की वरिष्ठतम् महिला के नाम बनाया जायेगा।

2- वर्तमान समस्त अन्त्योदय राशन कार्ड धारक।

3- वर्तमान समस्त बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारक।

4- आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार।

5- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हों तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

6- ऐसा परिवार जिसका संचालन के तौर पर मुखिया असाध्य रोगों (कुष्ठ, एच0आई0वी0) से पीडित व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

7- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति करता हो तथा तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

8- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला व्यक्ति कर रहा हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रू0 15,000 से कम हो।

9- ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम हो अथवा 1 हैक्टेयर सिंचित तथा 2 हैक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो।

10- ऐसे व्यक्ति जो रिक्शाचालन, कुली, मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो।

11- ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि पर खेत जोतता हो।

12- शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो।

13- ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर की देयता न बनती हो।

14- ऐसे सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी मासिक आय रू0 15000 से अधिक न हो।

क्रमशः...3 पर

15- राज्य में ऐसे संचालित संगठन अथवा आश्रम में निवासित ऐसे व्यक्ति जो बेघर हो तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर उक्त संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, विकलांगो का आश्रम एवं वृद्धाश्रम।

भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये निर्धारित पात्र प्राथमिक परिवारो के लक्ष्य को पूरा करने के लिये उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त कमांक से आरोही क्रम में लिया जाना तथा शहरी क्षेत्र के लिये ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रू0 15000.00 से अधिक न हो को निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत लिया जायेगा।

प्रक्रिया

रू0 15,000 मासिक आय के प्रमाण पत्र के विषय में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिये नायब तहसीलदार से अन्यून राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा।

पात्र परिवारों की सूची को ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत की खुली बैठक जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी की उपस्थिति में प्रसारित कर तत्काल निस्तारित की जायगी तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट्ट पर पात्र परिवारों की सूची को चस्पा कर एक सप्ताह के भीतर आपत्ति प्राप्त कर सूची का निस्तारण किया जायेगा, निस्तारण की कार्यवाही के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व रहेगा।

इस अध्यादेश के राज्य में लागू होने की तिथि को जनशिकायत निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद हेतु एक जिला जनशिकायत निस्तारण अधिकारी तथा उनके कार्यालय की स्थापना करनी होगी तथा राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करनी होगी, इसके अतिरिक्त सतर्कता समितियाँ, कॉल सेन्टर, टॉल फ्री नम्बर आदि भी स्थापित करने होंगे। इस जनशिकायत निस्तारण हेतु संस्थाओं का ढांचा एवं प्रस्ताव हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3- इसके अतिरिक्त यदि अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों की संख्या-07 से अधिक हो तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से खाद्यान्न वितरित कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 4 पर

अतः उपरोक्त "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013" में निहित प्राविधानों के अनुसार पात्र परिवारों को बिन्दु सं0 01 एंव 03 के अनुसार समय से खाद्यान्न का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा बिन्दु सं0 02 पर उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के कम में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये दी गयी निश्चित अवधि में प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या /13-XIX-2/40 खाद्य/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2- सचिव, मानवीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
3- निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5- सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 26.06. 2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
6- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय टॉवर, माजरा, देहरादून।
7- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8- अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9- मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
13- वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
14- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
16- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
17- एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन),
अपर सचिव।